Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2014
(20 कार्तिक 1936 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27) (केवल हिन्दी में)	477—478
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 49/संवि०/ अनु० 309/2014, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 – हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग उप–कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2014	1555—1556
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 50/संवि०/ अनु० 309/2014, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 – हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2014 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	1557—1558
भाग IV	**शुद्धि–पर्चो पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 नवम्बर, 2014

संख्या लैज.33/2014.— दि नैशनॅल लॉः यूनिवेंःस्–इटि, हरियाणा (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 4 नवम्बर, 2014 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969(1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 2014

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा अधिनियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन।

2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्ष में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 की प्रस्तावना का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

> "विधि तथा इसकी सहबद्ध शिक्षण की समस्त शाखाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए व्यापक विधि शिक्षा विकसित तथा प्रदान करने हेतु हरियाणा राज्य में डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत को स्थापित तथा निगमित करने के लिए अधिनियम।"।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 के लघु शीर्ष का संशोधन।

4. मूल अधिनियम के लघु शीर्ष में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 की धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ट) में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।